न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/630

1. कान्हा उर्फ कन्हैयालाल पुत्र श्री मांग्या जी जाति कुम्हार निवासी ग्राम सनमानपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. बद्रीलाल पुत्र लक्ष्मण जी जाति धाकड निवासी ग्राम सनमानपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
3. सत्यनारायण आत्मज श्री जगन्नाथ जी जाति धाकड निवासी सनमानपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. लखन लाल राजौरा पुत्र श्री सूरजमल जी जाति खाती निवासी सनमानुपरा तहसील पीपल्दा सरपंच ग्राम पंचायत बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. ग्राम पंचायत बोरदा जरिये सचिव ग्राम पंचायत बोरदा पंचायत समिति ईटावा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री राजेन्द्र माथुर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 25.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सनमानपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खसरा नम्बर 119 रकबा 0.43 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी क्रम 1 के खाते एवं कब्जे की भूमि है जो प्रार्थी के खाते

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । प्रार्थी क्रम 2 के खाते एवं कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 117 रकबा 0.12 हैक्टर भूमि है । इसी प्रकार प्रार्थी क्रम 03 के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 0.13 हैक्टर भूमि है । उक्त भूमियों पर प्रार्थीगण ने अपने मकान, पशु आवास, फसल भण्डारगृह बना रखे हैं । अप्रार्थी क्रम 1 ग्राम पंचायत बोरदा का सरपंच है तथा अप्रार्थी क्रम 02 ग्राम पंचायत बोरदा का सचिव है । अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर जबरन ताकत के बल पर बिना किसी विधिक अधिकार के रोड व नाला बनाने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । उक्त भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की भूमि पर उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे, उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें तथा उक्त भूमि पर रोड व नाले का निर्माण या अन्य किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करें ।

4. अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.12.2017 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.12.2017 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा को अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट का प्राईमाफेसी केस नहीं होना मानकर खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड पर गौर किये बिना ही अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के मौखिक कथनों पर भरोसा करते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । प्रार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.12.2017 निरस्त फरमाया जावे तथा अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी फिर भी गलत तथ्यों के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । वादग्रसत आराजी प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की है जिस पर अपीलान्ट ने अपने निवास गृह, पशु

आवास, फसल भण्डार गृह बना रखे हैं तथा मेड पर बहुसंख्यक पेड लगा रखे हैं । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 सरपंच व ग्राम सचिव हैं । अपीलान्ट के खाते की आराजी में होकर सडक व नाले का जबरन निर्माण करवाना चाहते हैं । बिना मौका रिपोर्ट मंगवाये मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया गया है । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्ट के पक्ष में तय हैं । रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट के खाते की भूमि पर निर्माण कराने का कोई अधिकार नहीं है । सीमाज्ञान रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.12.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सार्वजनिक उपयोग के लिए रास्ते की आराजी पर सडक निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसमें प्रार्थी अपीलान्ट व्यवधान उत्पन्न कर रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.12.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम सनमानपुरा की आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 0.44 हैक्टर भूमि गैर मु0 रास्ते के रूप में सरकार के खाते में दर्ज है । नक्शा ट्रेस की प्रति भी पत्रावली पर संलग्न की गई है और खसरा गिरदावरी की फोटो प्रति संलग्न है । खसरा नम्बर 114 की निशादेही किये जाने के बाबत् एक रिपोर्ट की फोटो प्रति भी संलग्न की गई है और एक अन्य रिपोर्ट दिनांक 13.07.2017 संलग्न है जिसके अनुसार गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 114 और उसके आस–पास खसरा नम्बर 10, 111, 112, 115, 116, 117, 118 119 का सीमाज्ञान करवाये जाने की रिपोर्ट है । पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संलग्न है जिसके अनुसार आराजी खसरा नम्बर 117, 584, 585 की आराजी बद्रीलाल प्रार्थी क्रम 02 के खाते में दर्ज है और फोटो प्रति नकल जमाबन्दी के अनुसर आराजी खसरा नम्बर 118 के साथ कुछ अन्य खसरा नम्बरान की आराजी सत्यनारायण एवं अन्य के खाते में दर्ज है ।

11. अपीलान्ट का यह कथन है कि उनके खाते की आराजी पर रोड का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जबकि जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 0.44 हैक्टर पर पानी की निवासी के लिए नाला एवं रास्ता दुरूस्ती के लिए कार्य जनहित में किया जा रहा है । पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 0.44 हैक्टर सरकार के खाते में गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज है और नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा नम्बर 114 की आराजी रास्ते के रूप में है और उसके लगवा खसरा नम्बर 115, 117, 118 एवं 119 की भूमि है । पत्रावली पर सीमाज्ञान रिपोर्ट भी संलग्न है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर यह पाया जाता है कि रेस्पोडेन्टगण जनहित में सरकारी आराजी खसरा नम्बर 114 पर सडक निर्माण एवं पानी निवासी के लिए नाला निर्माण का कार्य कर रहे हैं । यह कार्य अपीलान्ट के खाते की आराजी पर नहीं किया जा रहा है । इस कारण प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में नहीं पाया जाता है । तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने

विधि सम्मत रूप से प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.12.2017 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25-09-19

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा